न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।
उपस्थितः– विनय कुमार द्विवेदी
सत्र परीक्षण संख्या– 300/2020

राज्य प्रति निरंजन यादव वगैरह

<u>आरोप</u>

मैं विनय कुमार द्विवेदी, सत्र न्यायाधीश, चन्दौली,
आप अभियुक्तगणः–

1. निरंजन यादव
2. वकील यादव पुत्रगण सुदर्शन यादव

पर निम्न आरोप लगाता हूंः–

प्रथम– यह कि दिनांक 23–05–2020 को स्थान ग्राम केरायगांव, थाना शहाबगंज, जनपद चन्दौली में आप अभियुक्तगण ने मुकदमा वादी के पुत्र कुन्दन यादव की गला दबाकर हत्या कारित कर सूर्यमुखी के खेत में फेक दिया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण के द्वारा धारा 302 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि आपका विचारण उक्त आरोप के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विनय कुमार द्विवेदी)
दिनांकः–02–02–2021. सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण का दावा किया ।

(विनय कुमार द्विवेदी)
दिनांकः–02–02–2021. सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

02–02–2021

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण निरंजन यादव एवं वकील यादव अपने विद्वान अधिवक्ता सहित उपस्थित है। आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया। अभियोजन ने उन साक्ष्यों का उल्लेख किया जो अभियुक्तगण के विरूद्ध सिद्ध किये जाने हैं। उक्त के आधार पर अभियुक्तगण पर दण्डनीय धारा 302 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0 का आरोप लगाये जाने के संदर्भ में पत्रावली में पर्याप्त सामग्री मौजूद है। तद्नुसार अभियुक्तगण पर आरोप लगाये जाने का आदेश दिया जाता है।

सेशन जज,
चन्दौली।

लंच बाद पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित है। उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण निरंजन यादव एवं वकील यादव पर दण्डनीय धारा 302 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0 का आरोप लगाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण का दावा किया।

आरोप–पत्र के साक्षीगण तलब किये जाएं। साक्ष्य हेतु मुकदमा दिनांक 26–02–2021 को प्रस्तुत हो।

सेशन जज,
चन्दौली।